सं0-377/एक-10-2024-33(1)/24

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मिर्जापुर, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर एवं गौतमबुद्धनगर।

राजस्व अनुभाग-10 **लखनऊः दिनांकः 23 फरवरी, 2024**

विषय- पूर्वी-पश्चिमी, विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 05 क्षेत्रीय आपदा प्रतिक्रिया केन्द्र की स्थापना हेतु निर्माण कार्य कराये जाने के लिए योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-5207/रा0आ0का0/ 2023-24 दिनांक 21-02-2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 04 क्षेत्रों पूर्वी-पश्चिमी, विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों की आपदाओं से निपटने के लिए क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के दृष्टिगत क्रमशः 05 जनपदों गोरखपुर में बाढ, गौतमबुद्धनगर में भूकम्प, झांसी में सूखा, वाराणसी में बाढ/आकाशीय विद्युत तथा मिर्जापुर में आकाशीय विद्युत के लिए क्षेत्रीय आपदा प्रतिक्रिया केन्द्र का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उक्त जनपदों में क्षेत्रीय आपदा प्रतिक्रिया केन्द्र के निर्माण कराये जाने हेतु अप्रेजल कमेटी की दिनांक 15.12.2023 को सम्पन्न बैठक की संस्तुति एवं राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक 08.02.2024 को सम्पन्न बैठक में दी गयी स्वीकृति के क्रम में कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन का मूल्यांकन रू0 5 करोड के अन्दर होने के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 19.10.2015 के प्राविधानानुसार कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02.01.2024 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 21.02.2024 में मूल्यांकन/परीक्षण किया गया। समिति द्वारा निम्नलिखित तालिका के कॉलम-3 में प्रस्तावित लागत के सापेक्ष कॉलम-4 में उल्लिखित लागत आगणित की गयी है:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	आगणन की लागत(लाख में)	समिति द्वारा मूल्यांकित लागत(लाख में)
1	2	3	4
1	जनपद मिर्जापुर में क्षेत्रीय आपदा प्रतिक्रिया केन्द्र का निर्माण कार्य	290.09	264.88
2	जनपद वाराणसी में क्षेत्रीय आपदा प्रतिक्रिया केन्द्र का निर्माण कार्य	296.27	248.56
3	जनपद झांसी में क्षेत्रीय आपदा प्रतिक्रिया केन्द्र का निर्माण कार्य	306.33	252.65
4	जनपद गोरखपुर में क्षेत्रीय आपदा प्रतिक्रिया केन्द्र का निर्माण कार्य	299.63	255.46
5	जनपद गौतमबुद्ध नगर में क्षेत्रीय आपदा प्रतिक्रिया केन्द्र का निर्माण कार्य	329.09	259.41
		योग	**1280.96**

3- उक्त के क्रम में ऊपर उल्लिखित तालिका में अंकित कार्य हेतु तालिका के कॉलम-4 में अंकित आगणित धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित जनपदों के प्रति जिलाधिकारियों के निवर्तन पर, रखते हुए कुल रू0 **1280.96** लाख की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध

(1) उक्त प्रायोजना का आगणन सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, भवन सेल, लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जो मुख्य अभियन्ता (भवन सेल), लोक निर्माण विभाग, राहत आयुक्त द्वारा संस्तुत एवं प्रायोजना प्रस्ताव राजस्व विभाग द्वारा अनुमोदित है।

(2) कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त आगणन का अप्रेजल कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर इस शर्त के साथ किया गया है कि भविष्य में उनका पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा। परियोजनान्तर्गत पाइल फाउन्डेशन हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है, जोकि मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही देय होगा।

(3) कार्यों की तात्कालिकता के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य की योजना जोकि कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर गठित है, का अप्रेजल, समिति द्वारा बजट आवंटन के दृष्टिगत कर दिया गया है। कार्यदायी संस्था उक्त प्रस्तावों का वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ई-8-305/10-2006, दिनांक 02.03.2006 एवं शासनादेश सं0 ई-8-1226/10-2013-89/2004, दिनांक 10 सितम्बर 2013 के आलोक में यथाआवश्यकतानुसार कार्यवाही करा लिया जायेगा।

(4) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कार्यों की लागत पर 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 आंकलित की गयी है, जो वास्तविकता के आधार पर देय होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो। उक्त मदों में धनराशि वास्तविकता के आधार पर देय होगी।

(5) प्रायोजना का विस्तृत आगणन (डी0पी0आर0) में दरें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0-272 कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023, दिनांक 10.10.2023 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0 294 कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023, दिनांक 26.10.2023 के द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कुर्सी क्षेत्रफल दरों में फैक्टर/कास्ट इन्डेक्स का समावेश किये जाने एवं कतिपय कार्यमदें वर्तमान बाजार भाव की दरों के विश्लेषण के अनुसार ली गयी हैं। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

(6) कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावरणीय क्लयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(7) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॅरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का परीखण किया गया है। मात्राओं एवं उच्च विशिष्टियों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(9) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(10) समिति द्वारा आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तद्नुसार प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व

में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) परियोजना अन्तर्गत बॉट आइटमं का क्रय मानक के अनुसार किया जायेगा। यथाआवश्यकतानुसार ई टेण्डर/जेम पोर्टल के माध्यम से कार्यवाही की जायेगी।

(13) स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त–पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(14) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA दिनांक 14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(15) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(16) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

(17) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(18) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में. सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(19) ई-टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये रु0 रू0 **1280.96** लाख (रूपये बारह करोड़ अस्सी लाख छियानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहद निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्याः-377 (1)/एक-10-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ0प्र0।
2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, शासन।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त। ।
4- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
5- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग एवं विभागध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ
6- मुख्य अभियन्ता (भवन सेल), लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन ।
9- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0
10- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी।
11- सम्बन्धित जनपद के मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग एवं अधिशासी अभियन्ता (भवन सेल) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 (द्वारा मुख्य अभियन्ता, भवन सेल, लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ)।
12- सम्बन्धित आर्किटेक्ट (द्वारा मुख्य अभियन्ता (भवन सेल), लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ)।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
14- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
15- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-29/02/2024

प्रेषण संख्या:- 377
आवंटन आदेश संख्या:- 001-377
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	झाँसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	25265000 25265000	25265000 25265000
2	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	24856000 25056000	24856000 25056000
3	मिर्ज़ापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	26488000 26488000	26488000 26488000
4	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	25546000 83946000	25546000 83946000
5	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	25941000 25941000	25941000 25941000
	योग	वर्तमान प्रगामी	128096000 186696000	128096000 186696000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बारह करोड़ अस्सी लाख छियानवे हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठारह करोड़ छियासठ लाख छियानवे हजार

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन